न्यायालयः नीरज कुमार ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, जिला बैतूल (म०प्र०)

समरी प्रकरण क0 2304174 / 2016 संस्थित दिनांक 22.11.2016 सी.आई.एस.फाईलिंग नंबर 107218 / 2016

मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र बैतूल जिला–बैतूल (म.प्र.)

.....<u>अभियोजन</u>

विरुद्ध

- 1. रफीक पिता अजीज खान, उम्र 60 वर्ष, निवासी—आजाद वार्ड बैतूल, तहसील व जिला बैतूल (म.प्र.)
- आलिसया पिता केशव पारधी, उम्र–50 वर्ष, निवासी—पारधीढाना बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्तगण

अभियोजन द्वारा ए०डी०पी०ओ० उपस्थित। अभियुक्तगण रफीक व आलसिया स्वयं उपस्थित द्वारा श्री फिरोज खान अधिवक्ता।

/ / निर्णय//

(आज दिनांक-20/04/2018 को घोषित किया गया)

- 1. अभियुक्तगण रफीक व आलिसया के विरूद्ध धारा 13 सार्वजिनक धूत अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप इस आशय का है कि उन्होंने दिनांक—21.08.16 को लगभग 16:35 बजे से 17:15 बजे के बीच थाना कोतवाली बैतूल जिला बैतूल के अंतर्गत स्थान—पारधी ढाना अलिसया की झोपड़ी के पास बैतूल में सार्वजिनक स्थान पर ताश के पत्तो पर रूपये—पैसे का दाव लगाकर हार जीत का खेल जुआ खेलते हुये पाये गये।
- 2. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक—22.11.16 को प्रकरण में सहअभियुक्तगण संजय, रोशन, नीरज, ताज मोहम्मद, संतोष नरवरे, जाकिर खान, बंटी उर्फ शाहिद खान, राजू वर्मा, नवीन, दिनेश उर्फ टाई, आरिफ खान, विकाश, अमजद पठान, सतीष, रघु, झनकेश उर्फ इमेश, बातू उर्फ गगन, जयप्रकाश के संबंध में निर्णय घोषित किया जा चुका है।

- अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.08. 16 को आरक्षी केन्द्र कोतवाली बैतूल में प्रभारी निरीक्षक के पद पर पदस्थ सीताराम झॉ को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पारधी ढाना बैतूल में अवैध रूप से पैसे से दाव लगाकर हार जीत का खेल ताश के पत्तो से जुआ चल रहा है जहाँ काफी भीड़ है जो सूचना से एस.डी.ओ.पी. ज्योति उमठ को अवगत कराया जो पुलिस कंट्रोल रूम बैतूल में थाना बैतूल से वह, उप.निरी. महेन्द्र सिंह, योगिता उईके, खुशबू मालवयी, निकिता विलसन, आशीष जैतवार, आर.के.कौशल, स.उ.नि. वहीद खान, वेद प्रकाश मिश्रा, परतेती, प्र.आर. जगदीश सिंह, विनायक, सुखदेव यादव एवं आर.सुभाष, जगदीश, विकाश, नितिन, विनय, आकाश, म.आर. झमोला, भारती, सविता, विनिता, म.सैनिक गीता, शांता उर्मिला को तलब कर उपस्थित हुये जो एस.डी.ओ.पी. के निर्देश पर दो साक्षी मुकेश लुल्ला व पंकज वर्मा को तलब कर मुखबिर सूचना से अवगत कराकर सूचना पंचनामा तैयार किया गया एवं 03 पार्टी बनाकर पारधी ढाना में साक्षीगणों के साथ दबिश दिया जहाँ अलिसया पारधी की झोपड़ी के पास ताश के पत्तो से रूपये पैसो का दाव लगाकर जुआ खेलते लोग दिखे जिन्हें पुलिस द्वारा ध ोराबंदी कर पकडा गया। मौके पर अभियुक्त संजय सोनी, अशोक बोरखडे, रोशन पारधी, नीरज सोलंकी, ताज मोहम्मद, संतोष नरवरे, जाकिर खान, बंटी उर्फ शाहिद खान, राजू वर्मा, नवीन वर्मा को पकड़ा गया, जिनसे जुआ खेलने का वैध कागजात पूछने पर नहीं होना बताया। अभियुक्तगण का कृत्य धारा 13 जुआ एक्ट के तहत दण्डनीय होने से मौके पर मुताबिक जप्ती पत्रक के 16:35 बजे साक्षीगणों के समक्ष नगदी 47,950 / —रूपये ताश के 52 पत्ते की 04 गडडी एवं 04 नग मोबाईल जप्त किया। पारधी ढाना की महिलाओं एवं बच्चों द्वारा ६ ोरा डालने एवं तोड–फोड करने एवं हल्ला तथा दौड भाग करने के कारण अभियुक्त अमजद पठान, टाई, अलिसया पारधी, रफीक बददी, बालू, आरीफ सुजकी, जययू उर्फ जयप्रकाश, सतीष पारधी, रघु पारधी, इमेश पारधी भाग गये जिन्हे पुलिस स्टाफ एवं साक्षियों द्वारा पहचान किया गया। अभियुक्त रोशन पारधी द्वारा अपने आप को पुलिस से बचने के लिये चोट पहुँचाने का प्रयास किया गया। बाद में पकड़े गये उपरोक्त अभियुक्तगण को विधिवत गिरफ्तार कर हमराह स्टाफ के अभियुक्तगण सहित वापस आये एवं अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आवश्यक अन्वेषण पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में दिनांक-22.11.16 को प्रस्तृत किया गया।
- 4. अपने अभिवाक् में अभियुक्तगण रफीक व आलिसया ने अपराध करना अस्वीकार किया एवं विचारण की मांग की। विचारण के दौरान दिनांक 20.04.18 को अभियुक्तगण रफीक व आलिसया ने पश्चाताप के आधार पर अपराध स्वीकार करने का निवेदन किया था। अभियुक्तगण रफीक व आलिसया से न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत रूप से पूछताछ किये जाने पर भी अभियुक्तगण रफीक व आलिसया ने अपराध स्वेच्छया, बिना किसी लोभ, भय अथवा दबाव के स्वीकार करना व्यक्त किया है। अभियुक्तगण रफीक व आलिसया को उनकी स्वीकारोक्ति किये जाने पर उन्हों दिये जाने वाले दण्ड के परिणाम के बारे में समझाया गया। अभियुक्तगण रफीक व आलिसया से पूछे जाने पर उन्होंने स्वेच्छ्या यह भी प्रकट किया है कि घटना के समय उनसे यह त्रुटि हो गई थी कि वह दिनांक—21.08.16 को लगभग 16:35 बजे से 17:15 बजे के बीच थाना कोतवाली बैतूल जिला बैतूल के अंतर्गत स्थान—पारधी ढाना अलिसया की झोपड़ी के पास बैतूल में सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तो पर रूपये—पैसे का दाव लगाकर

हार जीत का खेल जुआ खेलते हुये पाये गये थे। अभियुक्तगण रफीक व आलिसया की उक्त स्वीकारोक्ति स्वेच्छ्या किया जाना दर्शित होता है।

5. <u>प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष</u> निम्नलिखित विचारणीय बिन्दू है:—

(1) क्या अभियुक्तगण रफीक व आलिसया दिनांक—21.08.16 को लगभग 16:35 बजे से 17:15 बजे के बीच थाना कोतवाली बैतूल जिला बैतूल के अंतर्गत स्थान—पारधी ढाना अलिसया की झोपड़ी के पास बैतूल में सार्वजिनक स्थान पर ताश के पत्तो पर रूपये—पैसे का दाव लगाकर हार जीत का खेल जुआ खेलते हुये पाये गये थे?

<u>निष्कर्ष</u>

- 6. अभियुक्तगण रफीक व आलिसया को आरोप अंतर्गत धारा 13 सार्वजिनक धूत अधिनियम के संबंध में अपराध की विशिष्टियाँ पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर उन्होंने अपराध करना स्वीकार किया गया। अभियोग पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र एवं अभियुक्तगण रफीक व आलिसया की स्पष्ट एवं विश्वसनीय स्वीकारोक्ति पर अविश्वास किये जाने हेतु न्यायालय के समक्ष कोई कारण नहीं है।
- 7. फलतः अभियुक्तगण रफीक व आलिसया की स्वीकारोक्ति एवं अभियोग पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र के आधार पर यह प्रमाणित पाया जाता है कि उन्होंने थाना बैतूल जिला बैतूल के अंतर्गत स्थान—पारधी ढाना अलिसया की झोपड़ी के पास बैतूल में सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तो पर रूपये—पैसे का दाव लगाकर हार जीत का खेल जुआ खेला। अतः अभियुक्तगण रफीक व आलिसया को सार्वजनिक धूत अधिनियम की धारा 13 के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोग में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों तथा कारित अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण रफीक व आलिसया को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

अंतिम आदेश

- 8. अभियुक्तगण रफीक व आलिसया के द्वारा अभियोजन के दस्तावेज को स्वीकार कर उसे अपराध की विशिष्टियाँ पढ़कर सुनाये समझाये जाने पर अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छयापूर्वक अपराध करना स्वीकार किया। अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक अभियुक्त को न्यायालय अवधि अवसान तक के कारावास तथा अर्थदण्ड से दंडित करना न्यायिहत को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। फलतः अभियुक्तगण रफीक व आलिसया को सार्वजिनक धूत अधिनियम की धारा 13 के अधीन दण्डनीय अपराध में दोषसिद्धि पर न्यायालय अवधि अवसान तक के कारावास तथा क्रमशः 100—100 /—(एक—एक सौ रूपए मात्र) के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है।
- 9. अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में प्रत्येक अभियुक्त को 10 दिन (दस दिन) का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जाए।
 - 10. अभियुक्तगण रफीक व आलसिया की उपस्थिति के संबंध में

प्रस्तुत बंधपत्र एवं प्रतिभूति उन्मोचित किये जाते हैं।

- 11. अभियुक्तगण रफीक व आलिसया अनुसंधान एवं विचारण के दौरान निरोध अविध में नहीं रहे है। अतः इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अधीन प्रमाणपत्र पृथक से तैयार किया जावे।
- 12. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति में से 47,950 / रूपये (सैतालिस हजार नौ सौ पचास रूपये) राजसात किये जाकर कोषालय में जमा किये जाये एवं शेष संपत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट की जाए। अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार सम्पत्ति का व्ययन किया जाए।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

स्थानः—बैतूल दिनांक—20.04.2018 (नीरज कुमार ठाकुर) न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी बैतूल (म०प्र०)